राज्यपाल सचिवालय
राज भवन, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक प.1(46)राभ/2015/1436 दिनांकः 23 .02.2016

कार्यवाही विवरण

राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण की समन्वय समिति की बैठक माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 29 जनवरी, 2016 को प्रातः 11.00 बजे राजभवन, राजस्थान, जयपुर में आयोजित हुई।

बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों की सूची **परिशिष्ठ–1** पर उपलब्ध है।

2. सर्वप्रथम प्रमुख सचिव, राज्यपाल द्वारा बैठक में उपस्थित सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया गया। सभी प्रतिभागियों द्वारा अपना औपचारिक परिचय दिया गया।

3. तत्पश्चात् माननीय राज्यपाल महोदय के समस्त कुलपतिगण को संबोधित अ.शा.पत्र (परिशिष्ठ–2) का विशेषाधिकारी, राज्यपाल द्वारा वाचन किया गया।

निर्णयः– माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम व परीक्षा पैटर्न राजस्थान लोक सेवा आयोग/संघ लोक सेवा आयोग व अन्य प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुरूप बनाने तथा उपस्थिति के आधार पर विद्यार्थियों को बोनस अंक दिए जाने के सुझावों को विश्वविद्यालयों में लागू किये जाने की कार्य योजना हेतु निम्नांकित कुलपतियों की एक समिति का गठन किया गया :–

(i) श्री जे.पी. सिंघल, – संयोजक
कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

(ii) डॉ. आर.पी. सिंह, – सदस्य
कुलपति, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर

(iii) डॉ. बी. आर. छीपा, – सदस्य
कुलपति, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर।

समिति उक्त अर्द्ध शासकीय पत्र दिनांक 27.01.2016 में दिए गए समस्त सुझावों के संबंध में अपनी रिपोर्ट तीन माह में प्रस्तुत करेगी।

4. प्रमुख सचिव, राज्यपाल द्वारा निर्धारित एजेण्डा बिन्दुओं के क्रम में बैठक प्रारम्भ की गई, जिसमें निम्नानुसार विचार–विमर्श एवं निर्णय हुएः–

(i) गत बैठक दिनांक 5 मई, 2015 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।

(ii) गत बैठक दिनांक 5.5.2015 में लिये गये निर्णयों की पालना रिपोर्ट (ATR) परिशिष्ट–3 पर उपलब्ध हैं।

(iii) गत बैठक मे लिये गये निर्णयों की पालना रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान निम्नांकित बिन्दुओं के संबंध में अग्रिम निर्देश जारी किये गयेः–

(a) विश्वविद्यालयों में रजिस्ट्रार व वित्त नियंत्रक के रिक्त पदों पर पदस्थापन बाबतः–

निम्नांकित विश्वविद्यालयों में कुलसचिव के पद वर्तमान में रिक्त हैः–

(a) महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर,
(b) वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा,
(c) स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर,
(d) श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर,
(e) राजीव गांधी जन जातीय विश्वविद्याल, उदयपुर,
(f) हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर
(g) डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर।

निर्णय : **चूंकि हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर एवं डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर को राज्य सरकार द्वारा बन्द किये जाने का निर्णय लिया जा चुका है। अतः अवशेष पाँच विश्वविद्यालयों में रजिस्ट्रार की नियुक्ति शीघ्र किये जाने के माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा निर्देश दिये गये। इस संबंध में प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अपनी ओर से शासन सचिव, कार्मिक विभाग को पत्र लिखकर आग्रह करेंगे।**

यह सूचित किया गया है कि वित्त नियंत्रक का कोई पद किसी भी विश्वविद्यालय में रिक्त नहीं है।

कार्यकारी विभाग/विश्वविद्यालयः– **मुख्य सचिव तथा प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग**

(b) विश्वविद्यालयों को देय ब्लॉक ग्राण्ट फार्मूले की समीक्षा एवं पेंशन फण्ड संधारण में आ रही समस्याओं के समाधान व राज्य सरकार द्वारा पेंशन हेतु अनुदान दिये जाने की संभावनाओं के संबंध में:–

गत बैठक में लिए गये निर्णयानुसार राजभवन के आदेश कमांक एफ.1 (26) आरबी/2015/3381 दिनांक 25.5.2015 द्वारा प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के संयोजन में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया था जिसे तीन माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। समिति की रिपोर्ट अभी तक प्रतीक्षित है। प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने अवगत कराया कि समिति की दो बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं परन्तु विश्वविद्यालयों से पूर्ण सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण अन्तिम रिपोर्ट नहीं बनाई जा सकी है।

निर्णय :– **माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा समिति की रिपोर्ट दिनांक 31.03.2016 तक प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।**

कार्यकारी विभाग/विश्वविद्यालयः–**प्रमुख शासन सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग**

(c) मंत्री मण्डलीय उप समिति के समीक्षाधीन विश्वविद्यालयों की समीक्षा शीघ्र पूर्ण कर निर्णय लिए जाने के संबंध में:–

राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय, झुन्झुनू को छोड़कर शेष विश्वविद्यालयों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जा चुका है।

निर्णयः– राजीव गांधी जन जातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर व मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के क्षेत्राधिकार निर्धारण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा चाही जा रही सूचना दोनों विश्वविद्यालय पन्द्रह दिवस की अवधि में उपलब्ध करावें।

कार्यकारी विभाग/विश्वविद्यालयः– **राजस्थान जनजति विश्वविद्यालय, उदयपुर व मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर।**

(d) **राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के संबंध में:–**

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। प्रमुख शासन सचिव, वित्त द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना अन्तर्गत केन्द्र व राज्य सरकार का हिस्सा 75 : 25 से बदलकर वर्तमान में 60 : 40 का कर दिया गया है।

निर्णयः–

(a) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) की पात्रता हेतु NAAC Acredition एक अनिवार्य शर्त है। अतः समस्त विश्वविद्यालय NAAC Acredition करावें। चूंकि NAAC Acredition हेतु आवेदन किये हुए विश्वविद्यालय भी RUSA अन्तर्गत पात्र हैं। अतः समस्त विश्वविद्यालय NAAC Acredition हेतु आवेदन कर अपने प्रस्ताव RUSA अन्तर्गत राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

(b) वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा को पात्र मानने हेतु भारत सरकार से प्रकरण उठाया जावे।

(c) समस्त विश्वविद्यालय अपने स्तर पर RUSA हेतु एक कमेटी का गठन करें जो परियोजना के समस्त घटकों (Components) का अध्ययन कर उनके अनुरूप विस्तृत प्रस्ताव तैयार करें व राज्य सरकार को प्रस्तुत करें।

कार्यकारी विभाग/विश्वविद्यालयः– **समस्त विश्वविद्यालय व उनके प्रशासनिक विभाग।**

(e) नियमित रूप से कक्षाएं लगाने, विद्यार्थियों एवं प्राध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने:–

उपरोक्त बिन्दुओं पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालयों एवं संबंधित राजकीय महाविद्यालयों में अध्यापकों व कर्मचारियों हेतु बॉयोमैट्रिक प्रणाली से उपस्थिति की व्यवस्था को सफलतापूर्वक लागू करने पर समस्त कुलपतिगण को बधाई दी।

निर्णयः–(a) विद्यार्थियों की उपस्थिति मासिक रूप से विश्वविद्यालय website पर प्रकाशित की जावे तथा कम उपस्थिति वाले विद्यार्थियों व उनके परिजनों को मासिक आधार पर सूचना दिये जाने की व्यवस्था की जावे।

(b) राजभवन के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय से संबद्ध निजी महाविद्यालयों में अध्यापकों व कर्मचारियों की बायोमैट्रिक प्रणाली से उपस्थिति की व्यवस्था दिनांक

31.01.2016 तक कराकर दिनांक 07.02.2016 तक राजभवन को पालना भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे (पूर्व में जारी निर्देशों की प्रति – **परिशिष्ट –4**)

कार्यकारी विभाग/विश्वविद्यालयः– समस्त विश्वविद्यालय ।

(f) केन्द्रीयकृत मूल्यांकन व्यवस्थाः–

गत बैठक में सत्र 2015–16 से केन्द्रीयकृत मूल्यांकन व्यवस्था को लागू किये जाने की व्यवस्था दी गई थी।

निर्णय :– माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा पुनः निर्देश दिये गये कि केन्द्रीयकृत मूल्यांकन व्यवस्था को सत्र 2015–16 से आवश्यक रूप से लागू किया जाना है। विश्वविद्यालयों द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक केन्द्रों पर केन्द्रीयकृत मूल्यांकन की व्यवस्था की जा सकती है।

कार्यकारी विभाग/विश्वविद्यालयः– समस्त विश्वविद्यालय।

(g) **एकेडमिक कलैण्डरः–**

हॉलांकि लगभग समस्त विश्वविद्यालयों द्वारा एकेडमिक कलैण्डर घोषित कर दिया गया है परन्तु विश्वविद्यालयों द्वारा उक्त घोषित कलैण्डर की पूर्णतः पालना नहीं की जा रही है।

निर्णयः–(i) उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा एक मॉडल एकेडमिक कलेण्डर तैयार किया जाएगा, जो समस्त विश्वविद्यालयों में उनके संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा लागू किया जाएगा। उक्त कलेण्डर में विश्वविद्यालयों द्वारा दीक्षान्त समारोह की दिनांक भी घोषित की जाएगी।

(ii) समस्त परीक्षा परिणाम 15 जून तक घोषित कर दिये जावें,

(iii) पुनर्मूल्यांकन के परिणाम एक माह में घोषित किये जावें, पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन अवधि अधिकतम 15 दिवस होगी।

(iv) विश्वविद्यालयों में ग्रीष्मावकाश 16 मई से 30 जून तक रहेगा।

(v) विश्वविद्यालयों में राजपत्रित अवकाशों के संबंध में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा एक कलेण्डर तैयार किया जाएगा जो समस्त विश्वविद्यालयों पर लागू होगा।

कार्यकारी विभाग/विश्वविद्यालयः– समस्त विश्वविद्यालय व उनके प्रशासनिक विभाग।

(h) **दीक्षान्त समारोह**:–

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा को छोड़कर समस्त विश्वविद्यालयों द्वारा वर्ष 2014 तक की उपाधियों हेतु दीक्षान्त समारोह आयोजित किये जा चुके हैं। कोटा विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा माह मार्च, 2016 में दीक्षान्त समारोह आयोजित किया जाना सम्भावित है। माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा इस उपलब्धि पर समस्त कुलपतिगण को हार्दिक बधाई दी।

निर्णय :–माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष एक निश्चित दिनांक को दीक्षान्त समारोह आयोजित करने के निर्देश दिये

गये। प्रत्येक विश्वविद्यालय दिनांक 15.02.2016 तक प्रतिवर्ष दीक्षान्त समारोह आयोजित किये जाने हेतु दिनांक निर्धारित कर सूचना राजभवन को प्रस्तुत करेंगे।

कार्यकारी विभाग/विश्वविद्यालयः— समस्त विश्वविद्यालय।

(i) समस्त विश्वविद्यालयों द्वारा एक गांव गोद लिया जाकर उसे स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जानाः—

राजभवन के निर्देशों की पालना में अधिकांश विश्वविद्यालय द्वारा गांव गोद लिया जा चुका है। इस उपलब्धि पर माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा समस्त कुलपतिगण को पुनः बधाई दी गई।

निर्णयः—(i) गोद लिये गये गांव को जल स्वावलम्बन योजना से जोड़ा जावे।

(ii) मुख्य सचिव द्वारा प्रत्येक जिला कलेक्टर को निर्देश जारी किए जावेंगे कि गोद लिये गये गांव के विकास हेतु विश्वविद्यालयों को सहयोग किया जावे।

(iii) विश्वविद्यालय यह तय करें कि गांव में कौन—2 से विकास कार्य कराये जाने हैं तथा उनकी वरीयता निर्धारण कर उसके अनुरूप विकास कार्य कराए जावें।

(iv) विश्वविद्यालय अपनी विशेषज्ञता (expertise) का गांव के विकास में पूर्ण उपयोग करें तथा राज्य सरकार की समस्त विकास योजनाओं से गांव को जोड़ें।

कार्यकारी विभाग/विश्वविद्यालयः— मुख्य सचिव, राजस्थान एवं समस्त विश्वविद्यालय

(j) "प—आठ" कार्यक्रम लागू करनाः—

विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण के उन्नयन, क्रिया—कलापों में पारदर्शिता इत्यादि सहित विश्वविद्यालयों में प्रवेश से लेकर पदवी तक की समस्त गतिविधियों को शामिल करते हुए गत बैठक में माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा एक "प—आठ" कार्यक्रम की घोषणा की जाकर यह अपेक्षा की गई थी कि समस्त विश्वविद्यालय एक कार्य योजना बनाकर "प—आठ" कार्यक्रम को लागू करेंगे। अधिकांश विश्वविद्यालयों द्वारा इस संबंध में सहमति बताते हुए अक्षरशः लागू करना सूचित किया है, परन्तु कतिपय विश्वविद्यालय द्वारा कोई चरणबद्ध ठोस कार्य योजना नहीं बनाई गई है।

निर्णयः—माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा समस्त विश्वविद्यालयों को "प—आठ" कार्यक्रम की अक्षरशः पालना करने तथा "प—आठ" कार्यक्रम में वर्णित उच्च आदर्शों को प्राप्त करने हेतु निरन्तर कार्य करते रहने को निर्देशित किया गया।

कार्यकारी विभाग/विश्वविद्यालयः— समस्त विश्वविद्यालय व उनके प्रशासनिक विभाग।

5. महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में संचालित Skill Development Courses/ Centres की तर्ज पर अन्य विश्वविद्यालयों में उक्त मॉडल लागू करना :–

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर द्वारा पिछले 11 वर्षों से Centre for Enterpreneurship and Small Business Management का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। Centre द्वारा अब तक 51 पाठ्यक्रमों के माध्यम से 1415 अभ्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है। Centre द्वारा कौशल विकास व उद्यमिता के कोर्सेज संचालित किये जा रहे हैं जिससे अभ्यार्थी कोर्स पूरा करके सफलतापूर्वक अपना व्यवसाय चला रहे हैं अथवा सेवाएं दे रहे हैं। दिनांक 23.1.2016 को महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में 11 अन्य विश्वविद्यालयों के साथ एक कार्यशाला आयोजित कर इस मॉडल को अन्य विश्वविद्यालयों में लागू किये जाने पर विचार–विमर्श किया गया। महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के केन्द्र निदेशक प्रो.बी.पी.सारस्वत एवं उपनिदेशक, डॉ0 दीपिका उपाध्याय द्वारा इस विषय एक विस्तृत पॉवर पॉईन्ट प्रस्तुतीकरण (Power point presentation) दिया गया।

निर्णयः– माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा समस्त कुलपतिगण को निर्देशित किया गया कि उक्त मॉडल का अध्ययन कर अपने यहाँ पर लागू किये जाने पर विचार करें। शिक्षा को रोजगारपरक नहीं बनाकर रोजगार सृजक बनाया जावें। समस्त विश्वविद्यालय दिनांक 31.03.2016 तक समुचित प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत करें।

कार्यकारी विभाग / विश्वविद्यालयः– समस्त विश्वविद्यालय व उनके प्रशासनिक विभाग।

6.(i) राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के ई–गवर्नेन्स मॉडल को अन्य विश्वविद्यालयों में लागू करनाः–

राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा कार्यों में दक्षता, पारदर्शिता, सूचनाएं सुलभता से उपलब्ध कराने, प्रबन्धन में दक्षता व निष्पक्षता लाने तथा विभिन्न कार्य–कलापों में integration की दृष्टि से एक Integrated University Management System लागू किया गया है।

डॉ0 ए.के. गहलोत, कुलपति, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा इस e-governance के अन्तर्गत Management System पर एक Power Point presentation दिया गया तथा इस मॉडल के अन्तर्गत की जा रही गतिविधियों व सुविधाओं का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया। Presentation की एक प्रति तथा e-governance initiatives booklet बैठक के दौरान समस्त प्रतिभागियों को उपलब्ध करा दी गई थी।

निर्णय :– माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के e-governance की दिशा में किये गये कार्यों की सराहना करते हुए समस्त विश्वविद्यालयों से अपेक्षा की गई कि वे सभी इस तरह के e-governance model अपने यहाँ लागू करें।

कार्यकारी विभाग / विश्वविद्यालयः– समस्त विश्वविद्यालय।

(ii) इसी क्रम में प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य सरकार की बजट घोषणा अन्तर्गत उच्च शिक्षा के लिए एक Integrated Higher Education Portal का DoIT & C द्वारा निर्माण किया जा रहा है जिसमें समस्त

विश्वविद्यालयों से संबंधित समस्त क्रिया–कलापों यथा प्रवेश, परिणाम, curriculum, courses, attendance इत्यादि केन्द्रीय स्तर पर monitor किये जा सकते हैं। DoIT & C के अधिकारियों द्वारा इस प्रस्तावित Portal के संबंध में Power Point के माध्यम से एक प्रस्तुतीकरण (presentation) दिया गया। **(परिशिष्ठ–5)**

निर्णय :–माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा निर्देश प्रदान किये गये कि समस्त संबंधित विश्वविद्यालय इस कार्यक्रम में भाग लें तथा DoIT & C द्वारा चाही जा रही समस्त सूचनाएं उपलब्ध करावें।

कार्यकारी विभाग / विश्वविद्यालयः– समस्त विश्वविद्यालय।

7. विश्वविद्यालयों में दीक्षान्त समारोहों में ड्रेस कोड बाबतः–

माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा समस्त कुलपतिगण को दीक्षान्त समारोहों के दौरान पुराने गाऊन अर्थात पश्चिमी वेशभूषा के स्थान पर भारतीय वेशभूषा अंगीकृत करने पर बधाई दी तथा समस्त विश्वविद्यालयों में भारतीय वेशभूषा में राजस्थानी छटा (touch) सहित एकरूपता लाने हेतु सिफारिशें करने के लिए एक समिति का निम्नानुसार गठन करने की घोषणा की:–

(a)	प्रो0 चंद्रकला पाडिया, कुलपति, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर	– संयोजक
(b)	प्रो0 कैलाश सोढाणी, कुलपति,महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।	– सदस्य
(c)	डॉ0 ए.के. गहलोत, कुलपति, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर	– सदस्य

यह समिति समस्त कुलपतिगण से विचार कर दिनांक 31.03.2016 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

कार्यकारी विभाग / विश्वविद्यालयः– कुलपति, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।

8.Marking System लागू किये जाने के संबंध में की गई कार्यवाही व भावी कार्य योजनाः–

राजभवन स्तर पर समस्त विश्वविद्यालयों की दिनांक 16.07.2015 को बैठक आयोजित कर मार्किंग सिस्टम लागू किये जाने हेतु विस्तृत विचार विमर्श किया गया तथा पत्र दिनांक 23.07.2015 **(परिशिष्ठ–6)** द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये जाकर अपेक्षा की गई थी कि सत्र 2015–16 से उक्त Marking System को समस्त विश्वविद्यालयों द्वारा लागू किया जावे।

Marking System के संबंध में पेपर सेटर के मानदेय, परीक्षा कार्य से जुड़े कार्मिकों को दिये जाने वाले मानदेय व अन्य संबंधित मुद्दों पर आ रही समस्याओं पर विस्तार से

विचार–विमर्श उपरांत माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा **निम्नांकित समिति का गठन किया गया जो निर्धारित संदर्भ की शर्तों (Terms of Referances) के अन्तर्गत दिनांक 30.04.2016 तक अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी:–**

1. प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग – संयोजक
2. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग – सदस्य
3. कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर – सदस्य
4. कुलपति, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा, – सदस्य
5. कुलपति, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर – सदस्य

उक्त समिति की संदर्भ की शर्तें (Terms of References) निम्नानुसार रहेगी:–

(i) समस्त विश्वविद्यालयों में समान कोर्सेज के लिए समान परीक्षा शुल्क,

(ii) Marking System के दृष्टिगत पेपर सेटर हेतु मानदेय एवं उसकी प्रक्रिया,

(iii) परीक्षा में वीक्षक, केन्द्र अधीक्षक आदि परीक्षा कार्यों से जुड़े कार्मिकों को मानदेय का निर्धारण

(iv) विश्वविद्यालयों में विभिन्न कर्मचारियों व प्राध्यापकों को विभिन्न गतिविधिवार दिये जाने वाले ओवर टाईम/मानदेय/पारिश्रमिक का निर्धारण।

समिति द्वारा की गई सिफारिशें माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय से अनुमोदन उपरांत सभी विश्वविद्यालयों पर बाध्यकारी होगी।

कार्यकारी विभाग/विश्वविद्यालय:– प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।

9. **स्वीकृत रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विश्वविद्यालयों के प्रस्तावों पर राज्य सरकार के प्रशासनिक विभागों द्वारा की गई कार्यवाही की समीक्षा तथा जिन प्रकरणों में स्वीकृति प्रदान कर दी गई है उन पदों पर भर्ती हेतु विश्वविद्यालयों द्वारा की गई कार्यवाही की समीक्षा:–**

माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा समस्त कुलपतिगण से विश्वविद्यालयवार स्वीकृत पद, रिक्त पद, भर्ती हेतु प्रस्तावित पद तथा भर्ती हेतु स्वीकृति प्राप्त पदों का शैक्षणिक व अशैक्षणिक वर्गों में अलग–अलग विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये गये। विश्वविद्यालयवार स्थिति निम्नानुसार है:–

(i) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर :-

शैक्षणिक पद				अशैक्षणिक पद			
स्वीकृत	रिक्त	भर्ती हेतु प्रस्तावित	स्वीकृति प्राप्त	स्वीकृत	रिक्त	भर्ती हेतु प्रस्तावित	स्वीकृति प्राप्त
1	2	3	4	5	6	7	8
957	447	447	--	1887	856	856	--

प्रमुख शासन सचिव, वित्त द्वारा अवगत कराया गया कि पिछली बजट निर्णायक समिति (BFC) की बैठक में अशैक्षणिक संवर्ग के 208 पदों को समाप्त

करने का निर्णय हुआ था परन्तु उक्त पदों को अभी तक समाप्त नहीं किया गया है। राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा 110 पद समाप्त करने पर सहमति दी गई है परन्तु साथ ही 79 नये पदों के सृजन हुए लिख दिया गया है।

निर्णयः— **856 अशैक्षणिक पदों में से पूर्व में बजट निर्णायक समिति (BFC) में सहमत हुए 208 पदों को छोड़कर शेष 648 पदों पर भर्ती की स्वीकृति दे दी जावे। चूंकि शैक्षणिक पदों के संबंध में कोई विवाद नहीं है अतः 447 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान कर दी जावे। विश्वविद्यालय प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के माध्यम से दिनांक 5.2.2016 तक वित्त विभाग को समुचित प्रस्ताव भिजवाएं। प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग दिनांक 12.2.2016 तक उक्त प्रस्तावों पर आवश्यक कार्यवाही कर प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को सूचित करावें।**

कार्यकारी विभाग/विश्वविद्यालयः— राजस्थान विश्वविद्यालय, प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग एवं प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।

(ii) **जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुरः-**

शैक्षणिक पद				अशैक्षणिक पद			
स्वीकृत	रिक्त	भर्ती हेतु प्रस्तावित	स्वीकृति प्राप्त	स्वीकृत	रिक्त	भर्ती हेतु प्रस्तावित	स्वीकृति प्राप्त
1	2	3	4	5	6	7	8
649	291	291	--	364	98	98	--

विश्वविद्यालय के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की टिप्पणियों के संबंध में दिनांक 28.12.2015 को जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर को सूचित कर दिया गया था। प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा ने अवगत कराया कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर ने आज ही सूचना उपलब्ध करा दी है जिसे शीघ्र ही वित्त विभाग को भिजवा देंगे।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि आयुक्त, कॉलेज शिक्षा की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर में पूर्व में हुई नियुक्तियों की जॉच शीघ्र पूर्ण की जावे।

कार्यकारी विभाग/विश्वविद्यालयः— कुलपति, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग एवं आयुक्त, कॉलेज शिक्षा

(iii) **मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर :-**

शैक्षणिक पद				अशैक्षणिक पद			
स्वीकृत	रिक्त	भर्ती हेतु प्रस्तावित	स्वीकृति प्राप्त	स्वीकृत	रिक्त	भर्ती हेतु प्रस्तावित	स्वीकृति प्राप्त
1	2	3	4	5	6	7	8
259	119	119	89	290	84	84	16

प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा द्वारा अवगत कराया गया है कि राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर का मुख्यालय व क्षेत्राधिकार निर्धारित कर दिया गया है। मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर से क्षेत्राधिकार कम करके बांसवाड़ा, डूंगरपुर व प्रतापगढ़ जिले राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर को दे दिये गये हैं। अतः मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के कार्यभार की समीक्षा कर पदों की आवश्यकता देखी जाएगी तदनुसार अवशेष पदो के संबंध में स्वीकृतियों बाबत निर्णय लिया जाएगा।

अशैक्षणिक पदों पर भर्ती के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में जारी विज्ञापन के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार से चाहा गया स्पष्टीकरण शीघ्र प्रेषित किया जावे।

<u>कार्यकारी विभाग/विश्वविद्यालयः</u>–प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, कुलपति, मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर एवं कुलपति, राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर।

(iv) **महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर :-**

शैक्षणिक पद				अशैक्षणिक पद			
स्वीकृत	रिक्त	भर्ती हेतु प्रस्तावित	स्वीकृति प्राप्त	स्वीकृत	रिक्त	भर्ती हेतु प्रस्तावित	स्वीकृति प्राप्त
1	2	3	4	5	6	7	8
48	30	30	NIL	328	44	44	16

प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा द्वारा वित्त विभाग की टिप्पणियों के संबंध में दिनांक 6.01.2016 को महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर को सूचित किया गया। महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर द्वारा दिनांक 22.1.16 को जवाब प्रेषित कर दिया गया है। प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान सरकार विश्वविद्यालय के जवाब का शीघ्र परीक्षण कराकर दिनांक 1.02.2016 तक वित्त विभाग को भिजवायेंगे। वित्त विभाग 07 दिन की अवधि में merits के आधार पर प्रकरण में उचित निर्णय लेगा।

<u>कार्यकारी विभाग/विश्वविद्यालयः</u>– प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग एवं प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग

(v) **वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा :-**

शैक्षणिक पद				अशैक्षणिक पद			
स्वीकृत	रिक्त	भर्ती हेतु प्रस्तावित	स्वीकृति प्राप्त	स्वीकृत	रिक्त	भर्ती हेतु प्रस्तावित	स्वीकृति प्राप्त
1	2	3	4	5	6	7	8
32	03	03	02	21	10	10	02

कुलपति, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय द्वारा अवगत कराया गया है कि विश्वविद्यालय को आवश्यकता के अनुरूप स्वीकृति प्राप्त हो गई हैं परन्तु क्षेत्रीय निदेशक, भरतपुर के नव सृजित पद की स्वीकृति हेतु विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित प्रस्ताव पर राज्य सरकार शीघ्र निर्णय लें। प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने उक्त प्रस्ताव का परीक्षण कराकर शीघ्र निर्णय लिये जाने का आश्वासन दिया है।

कार्यकारी विभाग/विश्वविद्यालयः– प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

(vi) **जगद्‌गुरू रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुरः-**

शैक्षणिक पद				अशैक्षणिक पद			
स्वीकृत	रिक्त	भर्ती हेतु प्रस्तावित	स्वीकृति प्राप्त	स्वीकृत	रिक्त	भर्ती हेतु प्रस्तावित	स्वीकृति प्राप्त
1	2	3	4	5	6	7	8
43	18	18	13	14	08	08	06

विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2012–13 में इन पदों हेतु विज्ञापन किया गया था। कुलपति, जगद्‌गुरू रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा मार्गदर्शन चाहा गया कि उक्त विज्ञापन के आधार पर भर्तिया कर ली जावे अथवा पुनः विज्ञापन किया जावे। माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा निर्देश प्रदान किये गये कि इस हेतु पुनः विज्ञापन प्रकाशित कराया जावे जिसमें पूर्व में जिन अभ्यार्थियों द्वारा आवेदन किया जा चुका है, उन्हें पुनः आवेदन से छूट दी जावे। कुलपति, जगद्‌गुरू रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर इस संबंध में समुचित प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार से औपचारिक स्वीकृति प्राप्त करेंगे।

कार्यकारी विभाग/विश्वविद्यालयः– कुलपति, जगद्‌गुरू रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर एवं प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

(vii) **कोटा विश्वविद्यालय, कोटा :-**

शैक्षणिक पद				अशैक्षणिक पद			
स्वीकृत	रिक्त	भर्ती हेतु प्रस्तावित	स्वीकृति प्राप्त	स्वीकृत	रिक्त	भर्ती हेतु प्रस्तावित	स्वीकृति प्राप्त
1	2	3	4	5	6	7	8
34	10	10	2	136	97	87	75

विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2014 में 74 पदों पर भर्तियों हेतु आवेदन प्राप्त कर प्रकिया लगभग पूर्ण कर ली गई थी, परन्तु राज्य सरकार के आदेशानुसार उक्त नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी। नियुक्तियों की प्रक्रिया में अनियमितता की शिकायत पर जाँच हेतु सम्पूर्ण दस्तावेज/प्रक्रिया लिफाफे में बन्द कर दी गई है। उक्त अनियमितता की शिकायत की जाँच श्री जे.पी. सिंघल, कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर की अध्यक्षता वाली कमेटी द्वारा की जा रही है जो दिनांक 29.02.16 तक अपनी रिपोर्ट दे देगी। प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा ने अवगत कराया कि जाँच समिति की रिपोर्ट के आधार पर उक्त नियुक्ति प्रकिया के संबंध में समुचित निर्णय लिया जाएगा।

विश्वविद्यालय द्वारा दो नये महाविद्यालयों व कुछ नये विभागों के प्रस्ताव प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को भेजे गये हैं, जिनमें शैक्षणिक व अशैक्षणिक कार्मिकों के 124 नये पदो के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत किये हुए हैं। माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के निर्देशानुसार वित्त विभाग के स्तर पर होने वाली विश्वविद्यालय के आगामी बजट निर्णायक समिति (BFC) में उक्त नवीन प्रस्तावों पर विचार कर लिया जावे।

<u>कार्यकारी विभाग/विश्वविद्यालयः</u>– श्री जे.पी. सिंघल, कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, कुलपति, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा एवं प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।

(viii) **महाराजा गंगा सिंह विश्वविविद्यालय, बीकानेर :-**

शैक्षणिक पद				अशैक्षणिक पद			
स्वीकृत	रिक्त	भर्ती हेतु प्रस्तावित	स्वीकृति प्राप्त	स्वीकृत	रिक्त	भर्ती हेतु प्रस्तावित	स्वीकृति प्राप्त
1	2	3	4	5	6	7	8
17	13	13	02	95	67	32	--

प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा अवगत करया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में की गई भर्ती प्रकिया पर से रोक हटा ली गई है। अतः विश्वविद्यालय उन पदों पर भर्ती प्रकिया नियमानुसार प्रारम्भ करें। प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा ने यह भी अवगत कराया कि शेष पदों हेतु विश्वविद्यालय के प्रस्ताव दिनांक 28.01.16 को ही उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में प्राप्त हुए हैं, जिन्हें शीघ्र ही प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

<u>कार्यकारी विभाग/विश्वविद्यालयः</u>–प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा तथा कुलपति महाराजा गंगा सिंह विश्वविविद्यालय, बीकानेर।

(ix) **सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दाण्डिक विश्वविद्यालय, जोधपुर :-**

शैक्षणिक पद				अशैक्षणिक पद			
स्वीकृत	रिक्त	भर्ती हेतु प्रस्तावित	स्वीकृति प्राप्त	स्वीकृत	रिक्त	भर्ती हेतु प्रस्तावित	स्वीकृति प्राप्त
1	2	3	4	5	6	7	8
30	15	15	--	44	18	18	--

विश्वविद्यालय में शैक्षणिक वर्ग के 16 पद तथा अशैक्षणिक वर्ग में 18 पद रिक्त हैं, परन्तु चूंकि पूर्व में विश्वविद्यालय समीक्षाधीन था, अतः स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई थी। प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा ने अवगत कराया हैं कि अब समीक्षा हो चुकी है तथा विश्वविद्यालय का प्रशासनिक विभाग, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा से हटाकर गृह विभाग कर दिया गया है। अतः अब शीघ्र ही विश्वविद्यालय का स्वरूप निर्धारित कर परीक्षण उपरांत स्वीकृतियां जारी की जाएगी।

कार्यकारी विभाग/विश्वविद्यालयः—अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग तथा कुलपति सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दाण्डिक विश्वविद्यालय, जोधपुर।

(x) **राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा :-**

शैक्षणिक पद				अशैक्षणिक पद			
स्वीकृत	रिक्त	भर्ती हेतु प्रस्तावित	स्वीकृति प्राप्त	स्वीकृत	रिक्त	भर्ती हेतु प्रस्तावित	स्वीकृति प्राप्त
1	2	3	4	5	6	7	8
264	157	157	156	293	129	129	129

कुलपति, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा अवगत कराया गया है कि विश्वविद्यालय में लगभग समस्त रिक्त पदों पर भर्ती हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है परन्तु इन पदों पर नियुक्ति से आने वाले वित्तीय भार के दृष्टिगत राज्य सरकार से ब्लॉक ग्रांट बढ़ाने का आग्रह किया गया है। राज्य सरकार से ब्लॉक ग्रांट बढ़ाने की स्वीकृति प्राप्त होने पर भर्ती प्रकिया प्रारम्भ की जावेगी।

कार्यकारी विभाग/विश्वविद्यालयः—प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा तथा कुलपति राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय,कोटा।

(xi) **राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर :-**

शैक्षणिक पद				अशैक्षणिक पद			
स्वीकृत	रिक्त	भर्ती हेतु प्रस्तावित	स्वीकृति प्राप्त	स्वीकृत	रिक्त	भर्ती हेतु प्रस्तावित	स्वीकृति प्राप्त
1	2	3	4	5	6	7	8
207	111	96	96	340	231	231	231

कुलपति, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि विश्वविद्यालय को भारतीय चिकित्सा परिषद् (MCI) के मानदण्डों अनुसार समस्त पद एकमुश्त स्वीकृत कर दिये जाते हैं तथा भरने की स्वीकृति वर्षवार दी जाती है। विश्वविद्यालय को राज्य सरकार से 96 शैक्षणिक व 231 अशैक्षणिक कार्मिको के पदो को भरने की वांछित स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जिन्हें भरने हेतु भर्ती प्रकिया प्रारम्भ कर दी गई है।

<u>कार्यकारी विभाग/विश्वविद्यालयः–</u> कुलपति, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।

(xii) **पं. दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय, सीकर :-**

शैक्षणिक पद				अशैक्षणिक पद			
स्वीकृत	रिक्त	भर्ती हेतु प्रस्तावित	स्वीकृति प्राप्त	स्वीकृत	रिक्त	भर्ती हेतु प्रस्तावित	स्वीकृति प्राप्त
1	2	3	4	5	6	7	8
--	--	--	--	53	47	47	18

कुलपति, पं. दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय द्वारा अवगत कराया गया है कि विश्वविद्यालय में अशैक्षणिक संवर्ग के 53 पद सृजित हैं जिनमें से कुलपति के अतिरिक्त 08 पद राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति से भरे हुए हैं। 18 पदों के लिए राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो गयी थी तथा दिनांक 11.09.13 को परीक्षा नियंत्रक, उप कुलसचिव एवं सहायक कुलसचिव के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति जारी कर दी गई थी किन्तु राज्य सरकार से सेवा नियमों का अनुमोदन प्रतीक्षित है। माननीय उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री जी द्वारा अवगत कराया गया कि अभी विश्वविद्यालय के कार्यभार का विश्लेषण किया जा रहा है तत्पश्चात भर्ती की स्वीकृतियों पर पुनः विचार किया जाएगा तथापि परीक्षा कार्य को सुचारू रूप से संचालन करने हेतु दिनांक 28.01.16 को 15 और कार्मिकों का विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापन किया गया है।

<u>कार्यकारी विभाग/विश्वविद्यालयः–</u> कुलपति, पं. दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय, सीकर तथा प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।

(xiii) **महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर –**

शैक्षणिक पद				अशैक्षणिक पद			
स्वीकृत	रिक्त	भर्ती हेतु प्रस्तावित	स्वीकृति प्राप्त	स्वीकृत	रिक्त	भर्ती हेतु प्रस्तावित	स्वीकृति प्राप्त
1	2	3	4	5	6	7	8
--	--	--	--	53	47	47	23

स्वीकृत 53 पदों के विरूद्ध मात्र पॉच कार्मिक कार्यरत हैं तथा भर्ती हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किए हुए हैं। 23 पदों पर स्वीकृति प्राप्त हो गई है, जिनमें से एक उपकुलसचिव व दो सहायक उपकुलसचिव के पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ की गई थी, परन्तु राज्य सरकार द्वारा भर्ती पर रोक लगा दी गई है। विधि सहायक –1, कनिष्ठ लिपिक–10, स्टेनोग्राफर–3 एवं सूचना सहायक–1 के पदों हेतु राज्य सरकार से दिशा–निर्देश मांगे गये हैं। राज्य सरकार स्तर पर प्रकरण का शीघ्र समीक्षा की जाकर उचित निर्णय लिया जावे।

कार्यकारी विभाग/विश्वविद्यालयः– प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।

(xiv) **राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर –**

शैक्षणिक पद				अशैक्षणिक पद			
स्वीकृत	रिक्त	भर्ती हेतु प्रस्तावित	स्वीकृति प्राप्त	स्वीकृत	रिक्त	भर्ती हेतु प्रस्तावित	स्वीकृति प्राप्त
1	2	3	4	5	6	7	8
--	--	--	--	53	43	43	21

विश्वविद्यालय द्वारा चार पदों हेतु विज्ञापन जारी कर दिया गया था, परन्तु विश्वविद्यालय के अपने सेवा नियम नहीं होने के कारण राज्य सरकार से मार्गदर्शन चाहा गया हैं। कुछ कार्मिक प्रतिनियुक्ति पर आने हैं तथा कुछ पदों पर सेवानिवृत कार्मिकों से सेवाएँ ली जा रही हैं।

कार्यकारी विभाग/विश्वविद्यालयः– प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग तथा कुलपति, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर।

(xv) **राजीव गांधी जन जातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर –**

शैक्षणिक पद				अशैक्षणिक पद			
स्वीकृत	रिक्त	भर्ती हेतु प्रस्तावित	स्वीकृति प्राप्त	स्वीकृत	रिक्त	भर्ती हेतु प्रस्तावित	स्वीकृति प्राप्त
1	2	3	4	5	6	7	8
30	30	30	--	40	34	34	--

विश्वविद्यालय के मुख्यालय परिवर्तन का कार्य चल रहा हैं, तत्पश्चात् भर्ती के संबंध में कार्यवाही प्रारम्भ की जाएगी। कुलपति ने अवगत कराया कि विश्वविद्यालय में कुलसचिव एवं विशेषाधिकारी के शीघ्र पदस्थापन कराएं जावें ताकि कार्य प्रारम्भ हो सकें। कुलपति ने इस संबंध में राज्य सरकार को प्रस्ताव शीघ्र प्रेषित करने का आश्वासन दिया।

कार्यकारी विभाग/विश्वविद्यालयः– **कुलपति, राजीव गांधी जन जातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर।**

(xvi) **महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर –**

शैक्षणिक पद				अशैक्षणिक पद			
स्वीकृत	रिक्त	भर्ती हेतु प्रस्तावित	स्वीकृति प्राप्त	स्वीकृत	रिक्त	भर्ती हेतु प्रस्तावित	स्वीकृति प्राप्त
1	2	3	4	5	6	7	8
500	248	248	36	1120	273	273	94

कुलपति, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि कृषि पर्यवेक्षकों के पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी थी, परन्तु अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई। उक्त पदों पर पुनः भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही हैं जिसमें अशैक्षणिक पदों पर मेरिट के आधार पर भर्ती की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। शासन सचिव, कृषि विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि राज्य सरकार द्वारा तीन नये कृषि विश्वविद्यालय खोले जाने के कारण इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार कम हो जाने से कार्यभार की समीक्षा की जाकर अवशेष रहे नॉन–प्लान के पदों के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

कार्यकारी विभाग/विश्वविद्यालयः– **शासन सचिव, कृषि विभाग तथा कुलपति, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर।**

(xvii) **राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान वि0वि0,बीकानेर –**

शैक्षणिक पद				अशैक्षणिक पद			
स्वीकृत	रिक्त	भर्ती हेतु प्रस्तावित	स्वीकृति प्राप्त	स्वीकृत	रिक्त	भर्ती हेतु प्रस्तावित	स्वीकृति प्राप्त
1	2	3	4	5	6	7	8
349	187	187	166	686	317	317	113

कुलपति, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान वि0वि0,बीकानेर द्वारा अवगत कराया गया है कि 166 शैक्षणिक पदों व 113 अशैक्षणिक पदों हेतु प्राप्त स्वीकृति के क्रम में इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी हैं। साक्षात्कार से पूर्व तक की समस्त प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। परन्तु चयन समिति में राज्य सरकार के स्तर से दो nomination शेष हैं, उक्त nomination होते ही अवशेष कार्यवाही पूर्ण कर ली जाएगी।

कार्यकारी विभाग/विश्वविद्यालयः– **शासन सचिव, पशु पालन विभाग तथा कुलपति, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान वि0वि0, बीकानेर।**

(xviii) **स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि वि0वि0, बीकानेर –**

शैक्षणिक पद				अशैक्षणिक पद			
स्वीकृत	रिक्त	भर्ती हेतु प्रस्तावित	स्वीकृति प्राप्त	स्वीकृत	रिक्त	भर्ती हेतु प्रस्तावित	स्वीकृति प्राप्त
1	2	3	4	5	6	7	8
225	121	121	50	245	111	111	61

कुलपति, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि वि0वि0,बीकानेर द्वारा अवगत कराया गया है कि ICAR से 100% एवं 75% सहायता वाले शैक्षणिक के 50 व अशैक्षणिक के 61 पदों पर भर्ती की स्वीकृति प्राप्त हुई हैं, परन्तु नॉन–प्लान बजट मद के 71 शैक्षिणक पद व अशैक्षणिक के 50 पदों पर स्वीकृति प्रतीक्षित है। शासन सचिव, कृषि द्वारा अवगत कराया गया कि अभी सितम्बर 2013 में राज्य में दो कृषि विश्वविद्यालय से बढ़ाकर पांच कृषि विश्वविद्यालय बना दिये गये हैं, अतः एक बार कार्यभार की समीक्षा हो जाने पर नॉन–प्लान के पदों के संबंध में उचित निर्णय लिया जाएगा। जिन पदों हेतु विश्वविद्यालय को स्वीकृति प्राप्त हो गई हैं, उनके संबंध में भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है तथा 31.05.2016 तक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी।

कार्यकारी विभाग/विश्वविद्यालयः– शासन सचिव, कृषि विभाग तथा कुलपति, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि वि0वि0, बीकानेर।

(xix) सर्वपल्ली डॉ.राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद वि0वि0 जोधपुर :–

शैक्षणिक पद				अशैक्षणिक पद			
स्वीकृत	रिक्त	भर्ती हेतु प्रस्तावित	स्वीकृति प्राप्त	स्वीकृत	रिक्त	भर्ती हेतु प्रस्तावित	स्वीकृति प्राप्त
1	2	3	4	5	6	7	8
41	06	06	—	167	96	96	18

शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग एवं कार्यबाहक कुलपति, सर्वपल्ली डॉ.राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद वि0वि0 जोधपुर द्वारा इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं होना अवगत कराया गया है।

(xx) कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर –

शैक्षणिक पद				अशैक्षणिक पद			
स्वीकृत	रिक्त	भर्ती हेतु प्रस्तावित	स्वीकृति प्राप्त	स्वीकृत	रिक्त	भर्ती हेतु प्रस्तावित	स्वीकृति प्राप्त
1	2	3	4	5	6	7	8
152	111	101	64	247	169	132	51

कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि विश्वविद्यालय के 38 शैक्षणिक पद व नागौर कृषि महाविद्यालय हेतु 26 पद स्वीकृत किए जा चुके हैं। चयन समिति हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग से सदस्य नामित नहीं होने के कारण अभी प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की जा सकी थी। शासन सचिव, कृषि विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सदस्य नामित कर दिया गया हैं, अतः अब भर्ती प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ की जाएगी।

कार्यकारी विभाग/विश्वविद्यालयः– कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर।

(xxi) कृषि विश्वविद्यालय, कोटा –

शैक्षणिक पद				अशैक्षणिक पद			
स्वीकृत	रिक्त	भर्ती हेतु प्रस्तावित	स्वीकृति प्राप्त	स्वीकृत	रिक्त	भर्ती हेतु प्रस्तावित	स्वीकृति प्राप्त
1	2	3	4	5	6	7	8
110	53	53	10	260	144	144	57

विश्वविद्यालय नवगठित होने के कारण सेवा नियम नहीं बने हुए हैं, अतः महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्यौगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर के सेवा नियमों को विश्वविद्यालय में लागु करने का निर्णय/प्रस्ताव प्रबंध बोर्ड की फरवरी माह की बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया है। सेवा नियमों के लागू करने के पश्चात् स्वीकृति प्राप्त पदों पर 30.06.2016 तक नियुक्तियां कर ली जाएगी।

कार्यकारी विभाग/विश्वविद्यालयः– कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।

(xxii) श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर –

चर्चा के समय बैठक में कुलपति उपस्थित नहीं होने के कारण विचार नहीं किया गया।

(xxiii) राजस्थान कीड़ा विश्वविद्यालय, झुन्झुनूं –

मंत्रीमण्डलीय उप समिति के समक्ष विचाराधीन होने के कारण चर्चा नहीं की गई।

(xxiv) डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर एवं हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर –

राज्य सरकार द्वारा इन विश्वविद्यालयों को बन्द करने का निर्णय लिये जाने के कारण इनके पदो के संबंध में चर्चा नहीं की गई।

10. शिक्षको द्वारा पढ़ाए जाने वाले टॉपिक्स को प्रतिदिन व कालांश के अनुसार विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना व छात्रों की गत दिवस की उपस्थिति दर्शानाः–

राजभवन द्वारा इस संबंध में समस्त विश्वविद्यालय को पत्रांक एफ.1(30) आरबी/2015/3784 दिनांक 11.06.2015 (परिशिष्ट–7) द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किए गए थे परन्तु यह प्रकट हुआ है कि विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में कड़ाई से पालना नहीं की जा रही है।

निर्णय :– शिक्षकों द्वारा पढ़ाये जाने वाले टॉपिक्स की कालांशवार जानकारी पाक्षिक आधार पर वेबसाईट पर डाली जावे एवं विधार्थियों की उपस्थिति प्रतिमाह वेबसाईट पर अपलोड की जावेः–

कार्यकारी विभाग/विश्वविद्यालयः– समस्त विश्वविद्यालय।

11. **शिक्षक के अवकाश पर रहने पर वैकल्पिक व्यवस्थाः**—राजभवन द्वारा इस संबंध में पत्रांक एफ.1(61)आरबी/2015/7172–96 दिनांक 15.10.2015 **(परिशिष्ट–8)** द्वारा समस्त विश्वविद्यालयों को निर्देश जारी किए गए थे परन्तु वर्तमान में किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा पूर्ण पालना नहीं की जा रही है। अधिकांश कुलपतिगण द्वारा अवगत कराया गया है कि आकस्मिक अवकाश की स्थिति में संभव नहीं हो पाता परन्तु लम्बी अवधि के अवकाश की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था आवश्यक रूप से की जाती है।

निर्णय :— **माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि यथा संभव वैकल्पिक व्यवस्था की जावे तथा यह सुनिश्चित किया जावे कि विधार्थी अनावश्यक इधर–उधर ना घूमें। कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था की जावे कि विधार्थी कक्षा में ही रहें।**

कार्यकारी विभाग/विश्वविद्यालयः— समस्त विश्वविद्यालय।

12. **विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों में Virtual Classes प्रारम्भ किये जाने की सम्भावनाओं पर विचारः—**

देश विदेश के ख्यातिनाम प्राध्यापकों/व्याख्ताओं/विषय विशेषज्ञों के अनुभवों/व्याख्यान का लाभ विद्यार्थियों को दिलाये जाने हेतु Virtual Classes एक सशक्त सुगम माध्यम है। समस्त विश्वविद्यालय National Knowledge Network के अन्तर्गत हाईस्पीड इन्टरनेट से जुड़े हैं। मात्र सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा और दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा कुछ हद तक Virtual Classes के क्षेत्र में प्रगति प्राप्त की गई है अन्य किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा इस दिशा में गंभीरता से प्रयास नहीं किये गये है।

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्यौगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि IIT से समन्वय करके 25 प्रतिशत कोर्स हेतु Virtual Classes प्रारंभ की गई है। राज्य सरकार द्वारा भी DoIT & C से Tie up करके राजकीय महाविद्यालयों में Virtual Classes प्रारंभ की जा रही है।

निर्णय :— **समस्त विश्वविद्यालय इस दिशा में गंभीर प्रयास करें तथा राज्य सरकार एम.एच. आर.डी. से हाई स्पीड कनेक्टिंग प्राप्त कर Virtual Classes प्रारंभ करावें।**

कार्यकारी विभाग/विश्वविद्यालयः— समस्त विश्वविद्यालय व उनके प्रशासनिक विभाग।

13. **पी.एच.डी. पाठ्यक्रम हेतु सीटों की उपलब्धता, सीटों के निर्धारण हेतु गाईड्स की उपलब्धता व सहमति की स्थिति तथा पी.एच.डी. की सीटों के भरने में आ रही समस्याएं :—**

विश्वविद्यालय, उनके संघटक अथवा संबद्ध महाविद्यालयों में पर्याप्त संख्या में योग्य गाईड्स उपलब्ध होते हुये भी विश्वविद्यालयों द्वारा पी.एच.डी पाठ्यक्रमों हेतु कम सीटें विज्ञापित करने की शिकयते प्राप्त हो रही हैं।

विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त प्रकट हुआ कि शोध का स्तर अपेक्षानुसार नहीं हैं तथा रिक्त सीटें उपलब्ध होते हुए भी इन्हें भरने में दिक्कतें आ रही है, योग्य गाईड्स द्वारा शोधार्थी स्वीकार नहीं किये जा रहे हैं।

माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा इस बिन्दु पर बैठक में विचार विमर्श किया जाकर एक नीति निर्धारित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है।

<u>निर्णयः</u>– इस परिप्रेक्ष्य में माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नांकित कुलपतिगण की एक कमेटी गठित की गई जो शोध की गुणवत्ता को सुधारने, पी.एच.डी की रिक्त सीटों को भरने में आ रही समस्याओं का समाधान करने तथा गाईड्स को कुछ अतिरिक्त इन्सेंटिव दिए जाने आदि संबंधित अन्य समस्त बिन्दुओं पर विचार कर समुचित सिफारिशें करेगीः–

1. **कुलपति, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा। – संयोजक**
2. **कुलपति, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर। – सदस्य**
3. **कुलपति, जगद्गुरू रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर। – सदस्य**
4. **कुलपति, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा। – सदस्य**

समिति अपनी रिपोर्ट 30.04.2016 तक प्रस्तुत करेगी।

<u>कार्यकारी विभाग / विश्वविद्यालयः</u>– कुलपति, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा।

14.<u>विश्वविद्यालयों / संघटक व संबंद्ध महाविद्यालयों में विधार्थियों की न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने बाबतः</u>–

गत बैठक दिनांक 05.05.2015 में भी इस संबंध में विस्तृत व स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि विश्वविद्यालयों द्वारा विधार्थियों की न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति को सुनिश्चित किया जावे तथा कम उपस्थिति वाले विधार्थियों की सूचना वेबसाईट पर प्रकाशित करने के साथ–साथ स्वयं विधार्थी व उनके परिजनों को सूचित करने की व्यवस्था की जावे।
विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा समस्त कुलपतिगण को पुनः निर्देशित किया गया कि उनके द्वारा दिनांक 27.01.2016 को लिखे अर्द्ध शासकीय पत्र में दिये गये सूझावानुसार छात्रों को 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति की स्थिति में परीक्षा मे बैठने से वंचित करने के दण्ड की व्यवस्था के साथ–साथ नियमित उपस्थिति वाले छात्रों को उनकी उपस्थिति के आधार पर इन्सेंटिव दिये जाने पर विचार किया जाना चाहिए।

माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित किया जावे कि :–

(i) जिन विद्यार्थियों की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है, उनके संबंध में विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर मासिक आधार पर सूचना प्रकाशित की जावे,

(ii) कम उपस्थिति के संबंध में स्वयं विद्यार्थी तथा उनके परिजनों को मासिक आधार पर सूचित किये जाने की व्यवस्था की जावे।

<u>कार्यकारी विभाग / विश्वविद्यालयः</u>– समस्त विश्वविद्यालय

15. अन्य बिन्दु

(i) **विश्वविद्यालयों में कुलसचिव, उप कुलसचिव, परीक्षा–नियंत्रक आदि विभिन्न पदों पर योग्यता व अन्य पात्रताओं की समीक्षा एवं पुनर्निधारण** – इस हेतु आयुक्त, कॉलेज शिक्षा की अध्यक्षता में एक कमेटी पूर्व में ही गठित है। विश्वविद्यालयों द्वारा इन पदों जिनमें मुख्यतः परीक्षा नियंत्रक का पद है, पर नियुक्तियों में योग्यता व वेतनमान संबंधी विसंगतियों के कारण योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहें हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों से प्राप्त अभ्यावेदनों के परिप्रेक्ष्य में उक्त कमेटी शीघ्र समीक्षा कर एक माह मे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

कार्यकारी विभाग / विश्वविद्यालयः– आयुक्त, कॉलेज शिक्षा।

(ii) **अनाथ, बी.पी.एल. परिवारों व मूक बधिर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा तथा मूक बधिर बच्चों हेतु विशेष कक्षाओं की व्यवस्था के संबंध में:–**

माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा समस्त कुलपतिगण के समक्ष अनाथ, बी.पी.एल. परिवारों तथा मूक बधिर बच्चों को विश्वविद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा दिए जाने तथा मूक बधिर बच्चों हेतु विशेष कक्षाऐं लगाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे सहर्ष स्वीकार करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा समस्त कुलपतिगण को इस संबंध में आवश्यक व्यवस्थाएं / प्रावधान करने के निर्देश दिए।

कार्यकारी विभाग / विश्वविद्यालयः– समस्त विश्वविद्यालय।

बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुरूप समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित अवधि में समय पूर्ण कार्य किये जाने के निर्देशों के साथ धन्यवाद सहित बैठक सम्पन्न हुई।

23/2/16
(श्रेया गुहा)
सचिव, राज्यपाल

कमांक प.1(46)राभ / 2015 / 1537 **दिनांक: 23 .02.2016**

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. सचिव, माननीया मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही विवरण का पालना प्रतिवेदन यथाशीघ्र भिजवाये जाने हेतु प्रेषित है:–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च, तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

3. प्रमुख शासन सचिव, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, खेल एवं युवा मामलाल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
9. सचिव, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. शासन सचिव, पशु पालन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
11. आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
13. कुलपति, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
14. कुलपति, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
15. कुलपति, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
16. कुलपति, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
17. कुलपति, जगद्‌गुरू रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत वि.वि., मदाऊ, भांकरोटा, जयपुर।
18. कुलपति, सर्वपल्ली डॉ0 राधाकृष्णन राज0 विश्वविद्यालय, जोधपुर।
19. कुलपति, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
20. कुलपति, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
21. कुलपति, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय,बीकानेर।
22. कुलपति, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर।
23. कुलपति, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा।
24. कुलपति, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
25. कुलपति, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर।
26. कुलपति, सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दाण्डिक विश्वविद्यालय, जोधपुर।
27. कुलपति, हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर।
28. कुलपति, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर।
29. कुलपति, पं. दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय, सीकर।
30. कुलपति, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
31. कुलपति, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर।
32. कुलपति, राजीव गांधी जन जातीय विश्वविद्याल, उदयपुर।
33. कुलपति, राजस्थान कीड़ा विश्वविद्यालय, झुन्झुनू।
34. कुलपति, कर्ण नेरन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
35. कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
36. कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।

विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा